रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032023-244368 CG-DL-E-14032023-244368

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] No. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

सा.का.नि. 179(अ).—सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार सरोगेसी (विनियमन) नियम 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: – 1. (1) इन नियमों को सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा।

- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. सरोगेसी (विनियमन) नियम 2022 के नियम 7 के तहत फॉर्म 2 में, मौजूदा पैरा 1 (घ) को हटा दिया गया है और इसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: –
 - 1. (घ) (I) सरोगेसी से गुजरने वाले जोड़े के पास इच्छुक जोड़े से दोनों युग्मक होने चाहिए और दाता युग्मक की अनुमित नहीं है:
 - (II) सरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) को सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणुओं का उपयोग करना होगा।

[फा. सं. यू.11019/15/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

नोट: सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में दिनांक 21 जून, 2022 को सा. का. नि. 460 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 दिनांक 10 अक्तूबर, 2022 को सा. का. नि. 772 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

1678 GI/2023 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2023

- **G.S.R.179(E).**—In exercise of the powers conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 2. In Form 2 under rule 7 of the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, the existing Para 1 (d) stands omitted and shall be substituted as under:-
 - 1. (d) (I) Couple undergoing Surrogacy must have both gamete from the intending couple & donor gametes is not allowed;
 - (II) Single woman (widow/divorcee) undergoing Surrogacy must use self eggs and donor sperms to avail surrogacy procedure.

[F. No. U.11019/15/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Note: The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 460 (E) dated 21st June, 2022 and the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, subsection (i) vide G.S.R. 772 (E) dated 10th October, 2022.